न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी,एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 442/2018
GCMS NO. : 2018/00337

–: प्रार्थीगण:–

लादु पुत्र मूला फौत के का.मु.
1. श्रवणी पत्नी लादुराम
2. भंवरूराम पुत्र लादुराम
3. चन्दाराम पुत्र लादुराम
4. धीराराम पुत्र लादुराम
5. रंगलाल पुत्र लादुराम
6. गुणेशी पुत्री लादुराम
7. पप्पुड़ी पुत्री लादुराम जातियान गुर्जर निवासी खेड़ा पोस्ट–रास, तहसील– जैतारण, जिला–पाली, राज०।

बनाम

–: अप्रार्थी :–

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली

रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:. 24/09/2018

उपस्थित:– 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:– 15/03/2022

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का रास–2 भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास, तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 2271 रकबा 114–00 बीघा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि आई हुई है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण की कब्जे काश्त की पुश्तैनी खातदारी कृषि भूमि है जिसे वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता सह खातेदार के रूप मे काबिज खातेदार काश्तकार थे उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भू पर वादीगण बतौर काबिज खातेदार काश्तकार के रूप में अपने हक हिस्से को निर्विवाद एवं बरोकटोक शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग एवं मुतालिक तमाम काश्त कार्य करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता लाद पुत्र मूला के नाम प्रविष्टी का अंकन है जो सही है जो जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 से लगातार 2045 से 2048 की जमाबंदी में दर्ज है जो सही है। जमाबंदी संवत् 2036 से 2048 तक की प्रमाणित प्रतियां वादपत्र के साथ पेश की जा रही है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी तैयार करते समय संबंधित तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा संवत् 2049 से 2052 की जमाबन्दी की नकल करते समय लिपिकीय गलती से वादीगण के पिता लादू पुत्र मूला के स्थान पर लाबु पुत्र मूला के नाम की प्रविष्टी दर्ज कर दी जो गलत है तथा एक रॉन्ग एन्ट्री है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 की खतौनी के समय तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादीगण के पिता का नाम लुम्बा पुत्र मूला दर्ज कर दिया जो गलत है तथा एक रॉन्ग एन्ट्री है जो जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 लगातार वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 तक के राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर चला आ रहा है। जो एक रॉन्ग एन्ट्री है जो दुरुस्त किए जाने योग्य है। जो जमाबंदी संवत 2036 से 2048 से साबित है जो वादपत्र के साथ पेश है तथा जमाबंदी संवत् 2049 से 2075 तक की प्रतियां वादपत्र के साथ पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता के सही नाम को जमाबंदी संवत् 2045 से 2048 के बाद तत्कालीन हलक पटवारी के द्वारा अलग अलग नाम लाबु पुत्र मूला व लुम्बा पुत्र मूला के रूप में दर्ज करते हुए जमाबंदी संख्या 2053 से 2075 में लुम्बा पुत्र मूला के नाम की रॉन्ग एन्ट्री हटवाकर लाबू पुत्र मूला व लुम्बा पुत्र मूला के स्थान पर वादीगण अपने पिता का सही नाम लादू पुत्र मूला राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाकर राजस्व रेकर्ड को दुरुस्त करवाने के वादीगण विधिक रूप से अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है किन्तु वाद की परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न हो चूकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु अलग से 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है। वाद कारण दिनांक 22.08.2018 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि में अपने पिता का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाने हेतु पटवार कार्यालया में उपस्थित हुए, तब हल्का पटवारी द्वारा वादीगण को बताया कि आपके उक्त राजस्व रेकर्ड में आपके पिता का नाम लुम्बा पुत्र मूला दर्ज है जबकि आपने अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है उसमें लादू पुत्र मूला दर्ज है। इस कारण यह म्यूटेशन दर्ज नही किया जा सकता। आप पहले अपने राजस्व रेकर्ड को दुरुस्त रावे। इसके पश्चात ही आपके नाम का म्यूटेशन दर्ज किया जा सकेगा। वादीगा को अपने राजस्व रेकर्ड में अपने पिता का नाम की गलत प्रविष्टी की जानकारी भी उसी दिन हुई और वादीगण ने उसी रोज राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में अपने पिता के नाम को दुरुस्त करवाने का वादपत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है जो अन्दर म्याद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण की ओर जवाबदावा पेश किया गया, जो सा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाबदावा में कथन किया कि [illegible] औविगक के खसरा नम्बर 2271 रकबा 114-00 बीघा में [illegible] है। तथा जमाबंदी संवत 2036 से 2048 तक वादी [illegible] पुत्र मूला दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 बनाते वक्त लादू पुत्र मूला के स्थान पर लाबू पुत्र मूला लिपिकीय भूल से दर्ज कर दिया जो कि आदिनांक जारी है। अतः औविगक के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

नम्बर 2271 में लादू पुत्र मूला दर्ज किया जाना उचित होगा। बहस सरकारी पैरोकार एवं वकील प्रार्थी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम भीवगढ की खसरा संख्या 2271 रकबा 114-00 बीघा में प्रार्थीगण के पिता सहखातेदार के रूप में काबिज खातेदार काश्तकार थे। जिनकी मृत्युपरान्त प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी के भू अभिलेख में प्रार्थीगण के पिता लादू पुत्र मूला के नाम की प्रविष्टी जो सही है, जो जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 से 2045 से 2048 तक दर्ज रहा। जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 में लिपिकीय त्रुटी से लादू पुत्र मूला के स्थान पर लाबू पुत्र मूला अंकित कर दिया गया। तथा संवत् 2053 से 2056 की जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटी से लुम्बा पुत्र मूला दर्ज कर दिया गया, जो वर्तमान में भी चल रहा है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में प्रार्थीगण के पिता का त्रुटीपूर्ण रूप से दर्ज नाम लाबू पुत्र मूला व लुम्बा पुत्र मूला को हटाकर सही एवं वास्तविक नाम लादू पुत्र मूला दर्ज कर राजस्व रिकर्ड को दुरूस्त किया जावे।

2. तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के कथनो से सहमति प्रकट की तथा लादू पुत्र मूला दर्ज किए जाने का निवेदन किया।

3. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 में लादू पुत्र मूला सहखातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044 व 2045 से 2048 में मूला पुत्र किशना तथा संवत् 2049 से 2052 में लाबु पुत्र मूला तथा संवत् 2056 से 2059, संवत् 2060 से 2063, 2064 से 2067, 2068 से 2071 एवं 2072 से 2075 में लुम्बा पुत्र मूला बतौर सहखातेदार दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संवत् 2036 से 2039 के पश्चात आगामी जमाबन्दी चौसाला तैयार करते समय खातेदार का नाम हुबहु आगामी जमाबन्दी में दर्ज नही किया जाकर लादू पुत्र मूला के स्थान पर पहले लाबू पुत्र मूला तथा तत्पश्चात लुम्बा पुत्र मूला दर्ज किया गया, जो कि एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टी है। जिन्हे संशोधित किया जाकर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम लादू पुत्र मूला दर्ज कर भू अभिलेख को परिशुद्ध करना विधिसंगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:12 IST
Reason: Self Attested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील-जैतारण, जिला- पाली के खसरा संख्या 2271

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

रकबा 114-00 बीघा के भू अभिलेख में प्रार्थीगण के पिता एवं सहखातेदार लादू पुत्र मूला नाम की दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि ***''लुम्बा पुत्र मूला''*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***''लादू पुत्र मूला''*** दर्ज करते हुये भू अभिलेख में अद्यतन एवं परिशुद्ध किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक इन्द्राजात् करते हुये भू अभिलेख में अद्यतन एवं परिशुद्ध करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 15/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested